REFERENCES

Re, Child kidnapping in the capital

SHRI INDER KUMAR GUJRAL (Bihar): Madam, with your permission, I rise to mention, with deep regret and concern,, the situation prevailing in the Capital. I hope the hon. Home Minister will give his attention rather to me than to his colleagues because I am talking about him. What is happening in this town?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Three Home Ministers are there to listen to you.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: There is hardly a day when we do not hear of a kidnapping. Children are being kidnapped and recklessly killed. I wrote to the Home Minister. Unfortunately, he has not acknowledged my letter even. If you see today's newspapers, every paper has written an editorial about this, drawing the nation's attention to the grave deterioration in the law and order situation. It is happening in the Capital and miles around the Capital. Children can be picked up from their schools. They can be kidnapped and ransoms can be demanded. And ransoms are paid and the police helplessly watches. If ransoms are not paid, the children are killed and murdered brutally. We see the height of callousness when a word of sympathy does not emanate from the Government. I have not seen a single case where either the Home Minister or anybody from the Home Ministry has even gone to the families of the children who have been suffering to say word of sympathy at least. I have never seen in my entire life, sitting in this House for long years, such an apathy on the part of the Government. Today, there is hardly any newspaper which has not editorially commented on this. In one paper, a new situation is highlighted when people are buying now electronic devices to look after themselves, when people are engaging their own PSOs, body guards, and asking for guns to safeguard themselves. This is the position. A while ago, we were talking about Kashmir. Earlier, we had Barpeta. They are all heart-rending. The hon. Home Minister and his Government cannot make even the Capital of the country safe for the citizens. I do not know what will happen and what can be done. Here in the Capital, two children were kidnapped and killed. There has been no word, no action, on the part of the Government. One child was killed and even cremated without the parents being informed without even being identified. What does it mean? This means that the message that was sent about the kidnapping did not reach every police station and police did not know what was happening and what happened. We saw a leading doctor being kidnapped and; by all accounts: I believe that a very big ransom was paid before he was released. In my neighbourhood, a leading businessmen was kidnaoped. He also paid ransom before he was released. We know from the Press now that on an average at least 30 persons per month are being kidnapped in this town and yet there is no action. There is callous indifference; not even a word of sympathy.

Another difficulty is today I notice that the culorits who have been caught for murdering the child Gupta have been booked under the NSA. What does it mean? It means that the law, as it is now is inadequate to take care of the culorits. I therefore demand I have written to the Home Minister—that the law must be amended and the minimum punishment for a kidnapper should be capital punishment. Special courts should be set up and these special courts should dispose of cas-

[Shri Inder Kumar Gujral]

es very quickly so that the law is administered with a great deal of speed. I believe that never in the history of this country determination in the law and order situation has been so helplessly watched. I do hope that the hon. Home Minister; when he gets up, will not make a dilly-dallying, wishy-washy statement. I hope he will inform me about the following things (1) What special steps have been taken to make the citizens in the capital safe? Is he thinking of so amending the law as to book all the culprits whenever they are hauled on not let out on bail? (2) The law should be amended in this Session itself so as to award the criminal punishment. You punish harshly. (3) I think a special cell should be set up in the CBI or somewhere else which should be only taking cognizance of the serious situation. The Home Minister must give the country an assurance that within a matter of days the situation will improve. If he says that he has issued instructions, if he tells me that he has written a letter to the Commissioner, if he tells me that he has telephoned somebody, that will not satisfy us because the city is in panic. I may use this word and I think, all of us have reacted with concern. In our own families, we do not know whether the children going to school will come back or not. Day before yesterday, my own grandchild got delayed while coming back from school because the car got punctured. The whole family was in panic. What is happening? Therefore, I would suggest that unless this House raises united voice and shared voice and unless we assert ourselves unanimously that the city has to be made safe and the Home Minister gives us evidence that he is serious about it, the situation will not improve. Thank you.

SHRI S. JAIPAD REDDY (Andhra Pradesh): Madam, we all associate ourselves with this. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I agree with you. The whole House associates itself with it. It is a very serious matter. Everybody associates with it. But I have three other names. Prof. Vijay Kumar Malhotra Shri O. P. Kohli and Dr. Murli Manohar Joshi. They would like to say a few words. (*Interruptions*)

संक्षेप में बोल दीजिए क्योंकि डिसकशन ... (व्यवधान)

The whole House has associated with it. That is recorded.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): मैडम, यह विषय इतने महत्व का है कि इसको बहुत शार्ट में खत्म करना.... (व्यवधान)

उपसभापति: मल्होत्रा जी, हर दफा आप.... (व्यवधान) मैं अगर कोई बात कहती हूं, हाउस के हित में बोलती हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इस पर बोलें या शार्ट डयूरेशन पर बोलें तो मेरा जो कहना होता है कि अगर उन्होंने विस्तार में बोलना है आप अगर एक घंटा बोलेंगे या आप पांच मिनट बोलेंगे तो आपके बोलने की महत्ता है, टाइम की महत्ता नहीं होती है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: उपसभापति महोदया, दिल्ली की जनता इस समय बहुत ही भीषण टेंशन में सहम की जिन्दगी जी रही है। ऐसी दिल बहलाने वाली लोमहर्षक घटनाएं हो रही हैं कि उसके कारण दिल्ली न सिर्फ क्राइम कैपिटल बनती जा रही है बल्कि दिल्ली अपराधों की नगरी बन गई है।

साढ़े चार वर्षीय मासूम अजय गुप्ता जो नौएडा में अपने स्कूल में गया था उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या होने के बाद कई दिन तक वहाँ नौएडा की पुलिस और दिल्ली की पुलिस इस बात पर झगड़ा करती रही कि यह केस नौएडा पुलिस का है या दिल्ली पुलिस का है। इस हत्या के मुख्य अपराधी हाजी हजमा को

दो बार पुलिस ने गिरफ्तार किया और 5–6 दिन वहां पर थाने में बैठाए रखा और उसके बाद उसको छोड़ दिया। वहां उससे ठीक ढंग से पूछ-ताछ नहीं की गई। वह हत्या के बाद अगर शराब के नशे में स्वयं इस बात को उगल नहीं देते तो वे पकड़े भी नहीं जाते।

उपसभापति महोदया, दूसरा जो राशि की हत्या हुई है वह तो और भी ज्यादा वीभत्स है। 13 जूलाई, को उसका अपहरण किया गया और 19 जुलाई को हिंडन नदी में बोरी में बंद उसकी लाश मिली। 19 जलाई को लाश मिलने के बाद उसके माता-पिता को बताया नहीं गया और उसको जला दिया गया। उसके माता-पिता को उसका अंतिम संस्कार करने का मौका भी नहीं मिला। बड़ी-बड़ी खबरें आती रहीं, शीर्षक छपते रहे। राशि के अपहरण के बारे में इतने शीर्षक छपे और पुलिस को उसकी जब लाश मिली तो उसने स्कूल की वर्दी पहन रखी थी। स्कूल की वर्दी के बावजूद न कल्याणपुरी की पुलिस ने और न पंजाबी बाग की पुलिस ने इस बात को सोचा उसका शव जलाने से पहले कि वह राशि हो सकती है और उसके माता-पिता को बताया जाए। कई दिन के बाद जा करके उनको पता चलता है और जब पता चलता है तो यह बताया जाता है कि उसकी लाश को जला दिया गया। इतना कैज्यूअली यह इस तरीके से इसको लिया गया कि 72 घंटे तक भी उसके शव को वहां पर सुरक्षित रखने की कोशिश नहीं की गई।

सरस्वती बिहार से 12 वर्षीय वैभव जैन 29 मई को उसका अपहरण हुआ है और आज तक उसका पता नहीं चला उस 12 वर्षीय बच्चे के माता-पिता इसी सहम के साथ बैठे हुए हैं कि न जाने उसके बच्चे के साथ क्या स्थिति हुई है। डाबरी क्षेत्र का लापता 9 वर्षीय संजय उसका भी कोई पता नहीं है और उसका भी कोई पता नहीं चल सका। उससे भी एक करोड़ रूपये की फिरौती मांगी गई। उपसभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि अजय गप्ता के केस में एन. एस. ए. को इनवोक किया गया नेशनल सैक्यों-रिटी एक्ट को और उसमें जो दलील दी गई वह यह दी गई कि हमने इसलिए इसको पकड़ा है कि कहीं इसको बेल न मिल जाए। हमारी कचहरियां किस तरह काम कर रही हैं? वहां अपहरणकर्ताओं को बेल मिल जाती है, हत्यारों को बेल मिल जाती है, बलातकारियों को बेल मिल जाती है और यह लोग बेल पर छूटकर खले आम घूमते हैं। आखिर, यह बेल उनको कैसे मिल जाती है? अब आकर के नेशनल सिक्योरिटि एक्ट की बात आई कि वहां पर नेशनल सिक्योरिटि एक्ट लगाया जाए ताकि बेल न मिले। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हमें अपने कोर्टस से, हमारे वहां के चीफ जस्टिस से बात करनी चाहिए कि किस तरह से अपहरणकर्ता, बलातकारी बेल पर बाहर आकर घूमते है?

उपसभापति महोदय, मैं होम मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली की जो स्थिति है, उसके अनुसार हर साल तीन लाख लोग दिल्ली में आ जाते हैं। दिल्ली में बाहर से जो भी चाहता है, पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश के सारे के सारे जितने साफिया हैं, अपराधी हैं, वह अब चाहे दिल्ली में आकर रह जाते हैं यह उनकी शरणस्थली बनी हुई है। इसलिए यहां दिल्ली के लोगों को आइडेंटिटि कार्ड दिए जाने चाहिएं ताकि बाहर से इस प्रकार के अपराधी, आतंकवादी, स्मगलर्स, ड्रग्स के लिए जो दिल्ली अड्डा बनी हुई है, उन्हें रोका जा सके। इसके लिए मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब कदम उठाएं। दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ से तो आपने ले रखी है ला एंड आर्डर अपने हाथ में। . .

उपसभापति : मल्होत्रा जी, अब आप खतम कीजिए। मुझे कोहली जी को बलाने दीजिए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं कहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब त्यागपत्र दें क्योंकि

दिल्ली में इस तरह की भीषण स्थिति पैदा हुई है ।

उपसभापति : कोहली जी, कृपया आप भी जरा संक्षेप में बोल दीजिए क्योंकि साढे बारह बजे

I have to star tthe discussion.

श्री ओ०पी० कोहली (दिल्ली): उपसभापति महोदय, आज दिल्ली में स्थिति यह है कि दिल्ली की जनता में बहुत बड़े पैमाने पर असुरक्षा की भावना मौजूद है । साधारण व्यक्ति अपने को पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहा है । हालत यहां तक पहुंच गई हैं कि अलग अलग कालोनियों और बस्तियों में लोगों ने लोहे के दरवाजे लगवाना शुरु कर दिए हैं ताकि वह लोग अपनी सुरक्षा आप कर सकें क्योंकि पुलिस प्रशासन में उनको भरोसा नहीं रहा कि वह उसकी सुरक्षा कर पाएगी । किडनेपर्स के गैंग दिल्ली में आपरेट करते हैं । आज न व्यापारी सुरक्षित है, न उनके बच्चे सुरक्षित हैं । बच्चों को स्कूल भेजने में माता-पिता घबड़ाते हैं । दिल्ली —नोएडा की सीमा अपराधियों के लिए बहुत जरखेज भूमि बनी हुई है । पुलिस का निकम्मापन साबित हुआ है ।

महोदया, विशेष रूप से मैं आपका ध्यान यमुना पार के क्षेत्र में दिल्ली–नोएडा और दिल्ली –गाजियाबाद की मिलीजुली सीमा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । अभी 9 साल की बच्ची राशि कुकरेजा के अपहरण की घटना का जिक्र हुआ । अजय महाजन, मार्टिन के अपहरण और उनकी हत्या की बात हुई । इसी रविवार त्रिलोकपुरी के तीन बच्चे 31 और 32 ब्लाक से लापता हैं । उनके माता-पिता को यह संदेह है कि उनके साथ भी इस प्रकार की घटना हुई है, जैसे अजय महाजन और राशि कुकरेजा के साथ हुई है । इससे पूर्व दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीचर्स के एक ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी के अपार्टमेंट से दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर के बच्चे का अपहरण हुआ । आज तक पुलिस कुछ कार्यवाही नहीं कर पाई । क्या दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस दिल्ली–नोएडा इस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए कोई संयुक्त कार्यवाही करने की योजना बना रही है ? क्या दिल्ली पुलिस किडनेपर्स से ठीक तरह से निपट सके इसके लिए उसको प्रोपेशनली इक्विट करने के लिए, उसकी काम्पीटेंट और क्षमता बढाने के लिए कोई योजना बन रही है ? क्या सिक्योरिटि टाइटन करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है ?

महोदया, एक और विषय इससे जुड़ा हुआ है कि कोर्डिनेशन और समन्वय का पूरा अभाव है । राशि कुकरेजा के प्रकरण में जो तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं, वह इस बात को जाहिर कर देते हैं कि दिल्ली पुलिस में आपस में तालमेल बिल्कुल नहीं हैं । दिल्ली के एक क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसकी खबर दूसरे क्षेत्र को पुलिस को नहीं रहती है । सबसे विचित्र बात यह है कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था केन्द्र के अधीन है, पुलिस केन्द्र के अधीन हैं और.. दिल्ली में जनता की चुनी हुई सरकार है, वह जनता के प्रति जवाबदेह है लेकिन कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिए उसके पास न पुलिस है, न यह विषय है । विषय केन्द्र के पास है और जवाबदेह दिल्ली की सरकार है । जनता को गुस्सा आता है, आक्रोस होता है, वह दिल्ली की चुनी हुई सरकार से पूछती है कि हमारे लिए क्या सुरक्षा देंगे और दिल्ली की सरकार के पास यह सब्जैक्ट नहीं है, पुलिस उसके अधीन नहीं है । इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली की पुलिस को किडनैपर्स के साथ डील करने के लिए प्रोपेशनली इक्विप किया जाना चाहिए, उसकी क्षमता बढाई जानी चाहिए, बेहतर कोआर्डिनेशन की व्यवस्था होनी चाहिए और दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस को आपसी तालमेल से दिल्ली-गाजियाबाद और दिल्ली-नोएडा क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए ।

मेरा निवेदन है कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि दिल्ली की चुनी हुई जवाबदेह सरकार दिल्ली में कानून और व्यवस्था बेहतर कर सके, इसलिए पुलिस और कानून-व्यवस्था का विषय दिल्ली की सरकार के अधीन होना चाहिए । आज सभी अखबारों ने इस विषय पर एडिटोरियल लिखे हैं । दिल्ली में रहते हुए आम आदमी जब इतनी असुरक्षा महसूस करता है त

फिर ये सरकार किस तरह से कश्मीर के आतंकवाद से निपटेगी, किस तरह से यह सरकार असम में बोडो विद्रोहियों से निपटेगी किस तरह से यह नक्सलीवादियों से निपटेगी, जब यह किडनैपर्स से नहीं निपट पा रही है। आज तो अखबारों ने गृह मंत्री के इस्तीफे तक की मांग की है क्योंकि इतनी चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। हम यह जानना चाहेंगे कि गृह मंत्री जो, जो कानून और व्यवस्था के स्वामी हैं, वे दिल्ली में आम आदमी को सुरक्षा और शांति प्रदान करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं ?

डा० मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश) : महोदया, इस प्रश्न के बहुत सारे पहलू सामने रख दिए गए हैं लेकिन एक और गंभीर पहलू जो इस अपहरण से निकलता है, उसकी तरफ मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये किडनैपिंग और अपहरण एक ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं जिससे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में औद्योगीकरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे लोग जो इस क्षेत्र में, खास तौर पर गाजियाबाद और फरीदाबाद की तरफ-उद्योग लगाने के लिए आना चाहते थे, उनका मनोबल क्षीण हो रहा है और हालत यह है कि दिल्ली से लेकर देहरादून तक इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कुछ एन-आई०आई जो मेरे पास आए थे जिन्होंने इस बात पर गहरी चिंता प्रकट की और पूछा कि वे इस क्षेत्र में उद्योग लगाना चाहते थे, लगाएं या न लगाएं या लगाएं क्योंकि यदि उनका आधा परिवार यहां रहता है और आधा अमरीका में रहेगा तो वे किस तरह से अपने परिवार की सुरक्षा कर सकेंगे ?

महोदया, अब यह सवाल केवल दिल्ली से देहरादून तक का नहीं है। यह रोग और राज्यों में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बंबई में अपहरण की घटनाएं होती है, कलकत्ते में होती है, नार्थ-ईस्ट में होती है। तो मैं गृह मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे इसे केवल राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ देंगे यह कहकर कि लॉ ऐंड आर्डर राज्य सरकार से संबंधित है ? यह एक अत्यंत व्यापक विषय है और इसका डायमेंशन यह है कि भारत में आंतरिक रूप से लोगों का मनोबल क्षीण किया जाए, उनके अंदर हताशा और असुरक्षा की भावना पैदा की जाए और यहां के औद्योगीकरण को हर तरह से क्षीण किया जाए और आर्थिक विकास को रोका जाए क्या इस प्रकार के व्यापक षड्यंत्र को और इस व्यापक योजना को काउंटर करने के लिए वह कोई देशव्यापी योजना बनाएंगे और सारे देश में उन क्षेत्रों में विशेषकर जहां-जहां इसका प्रभाव औद्योगिक विकास पर पड़ने वाला है, उनकी ओर विशेष ध्यान देंगे।

महोदया, मैं इस सवाल पर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और हमारे गुजराल साहब ने जिन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, उनसे मैं सहमत हूं। मैं चाहूंगा कि आप एक व्यापक योजना इस विषय में बनाएं और उसमें इसके सभी पहलुओं पर विचार करें और देश में असुरक्षा और औद्योगिक विकास दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए एक सुगठित नीति बनाएं।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) मडम, मंत्री जो यहां बैठे हुए हैं वे इस बारे में अपने कुछ तो विचार प्रकट करें। कम से कम चिंता प्रकट करें या क्या योजना बना रहे हैं, यह बताएं।

उपसभापति : मथु मणि जी, आप बोलिए।

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार) : यह क्या महोदया, दूसरे पर चले गए ? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है सदन में। इस पर गृह मंत्री जी की कुछ राय तो जान लें हम लोग।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): Madam, the point raised by my hon. friend, Shri Gujral, is in fact, very serious. I can understand the sentiments of the hon. Members that a situation is sought to be created wherein there is some kind of a panic in the capital city of Delhi. That is why it has become all the more

[Shri S. B. Chavan]

necessary that we take steps in this direction in order to see that we give exemplary punishment to all those who are responsible for not only kidnappings but also to those police officers who are responsible for burning dead bodies without informing their relatives. The police officers are also equally responsible. They should also be taken to task. So, a comprehensive scheme will have to be prepared. Whether it should be for the entire country; I will not be able to say anything on that at this stage. But, we have to consult all the State Governments before we take any final view on this matter. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have asked him to speak. Now, no more discussion on it.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, the Home Minister was asked to say what steps he would take in regard to the capital city of Delhi over which he has the jurisdiction. He has not spelt out anything. Is this the way of responding to it?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri S. Muthu Mani.

Re: Restoration of Port activities at Nagapatnam

SHRI S. MUTHU MANI (Tamil Nadu): Madam, I would like to raise a matter of public importance pertaining to restoration of port activities at Nagapatnam.

Once heavily utilised Nagapatnam Port is being kept unutilised. The Nagapatnam Port was famous for its passenger traffic as well as for cargo movement. All the operations at the Nagapatnam Port came to an end some seven or eight years ago when a fire accident took place at the Port. Due to this unnamed closure of this Port, the most affected segments are the farmers, fishermen and the people who have been depending upon the said Port. Some seven or eight years back, all sorts of port activities were carried on at this Port like import of goods from abroad and export of goods like onion, red chilly, turmeric and other agricultural products mainly produced near Nagapatnam. Because of the closure of the aforesaid Port, the farmers now have to send their produce to the Madras Port which is far away from Nagapatnam for onward shipment. Moreover; because of the distance factor the farmers are unable to compete. In addition to the farmers, several thousands of people who have been depending upon the said Port, have become jobless. I would like to know this from the Government. When all the infrastructure facilities are available at Nagapatnam, why has the Government closed it down? Today,, all the godowns at Nagapatnam constructed for the very purpose of export and import activities are lying unutilised and are filled with dust. The officers of this Port give it a deserted look and the staff is sitting idle without any work and hoping for the day when their calibre will be put to use once again.

Keeping in view the facts stated above, I strongly urge upon the Central Government to restore the port activities the Nagapatnam Port immediately in the interest of farmers, traders and those people who are directly or indirectly benefited. Any further delay in restoring the port activities will complicate the mater. Thank you.

Re. Lathi charge by CISF in Neyveli Lignite Corporation.

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Madam, I wish to draw the attention of the Government, specially the